न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान–2018 अटल सेवा केन्द्र जालीपा

क्रमांक रीडर/2018/1278 दिनांक – 31.05.2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 मोटाराम पुत्र पोकराम वगैराह जाति सुथार निवासी चक धोलका जालीपा तहसील व जिला बाडमेर।		1 तुलछाराम पुत्र मोडाराम वगैराह जाति माली निवासी शिवकर तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :–104/2018 दिनांक–25.05.2018

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण ग्राम चक धोलका पटवार क्षैत्र जालीपा के खेत खसरा नम्बर 127 रकबा 108.09 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
दिनांक– 31.05.2018

क्रमांक :– रीडर/2018/1279–1282

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जालीपा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी मोटाराम पुत्र पोकराम वगैराह जाति सुथार निवासी चक धोलका जालीपा तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी तुलछाराम पुत्र मोडाराम वगैराह जाति माली निवासी शिवकर तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर